कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर म0प्र0

छतरपुर दिनांक 03/07/2024

::–आदेश–::

क्रमांक/532/आठ/एसडब्लू/2024 श्री बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा थाना बमीठा जिला छतरपुर म0प्र0 में आगामी दिनांक 03.07.2024 से 05.07.2024 तक गुरूदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का जन्मोत्सव आयोजित किया जा रहा है उक्त महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालूओं विशिष्टजनो संतजन आदि आयोजकों द्वारा आमंत्रित है अतः भीड़ प्रबंधन एवं कानून व्यवस्थो को सुचारू रखने के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित अधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन हेतु दिनांक 03.07.2024 से 05.07.2004 तक के लिए नियुक्त किया जाता है :–

क0	अधिकारी का नाम	कार्यक्रम के अनुसार निम्नानुसार व्यवस्था
1	1– अति.जिला मजिस्ट्रेट जिला छतरपुर म0प्र0 2– अति.पुलिस अधीक्षक छतरपुर	सम्पूर्ण कानून व्यवस्था एवं आयोजकों से आवश्यक समन्वय करते हुये समस्त व्यवस्थाये एवं स्वयं सेवेको से आवश्यक समन्वय करना सुनिश्चित करना ।
2	1. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) राजनगर जिला छतरपुर 2 अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) अनुभाग खजुराहो जिला छतरपुर	1 कार्यक्रम आयोजन हेतु समस्त आवश्यक अनुमतियाँ नियमानुसार मय शर्तो के प्रदाय करना। 2 कार्यक्रम स्थल पर भीड़ प्रबंधन हेतु लाउडस्पीकर आदि की व्यवस्था हेतु आयोजको से समन्वय करना सुनिश्चित करें । 3. पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था आयोजकों से समन्वय कर व्यवस्था सुनिश्चित करें । 4. संपूर्ण कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना । 5. पर्याप्त दूरी पर मार्ग हेतु दुकानों की व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था सुचारू बनाये रखना।
3	अधीक्षण यंत्री, विद्युत विभाग लिमिटेड, जिला छतरपुर	1. अबाध विद्युत आपूर्ति एवं कोई भी लूज वायरिंग न हो 2. शॉर्ट–सर्किट न होने की व्यवस्था करना।
4	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, छतरपुर	1–ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था एवं एंबुलेंस सेवाओं की विशेष व्यवस्था बनाये रखना । 2–कार्यक्रम स्थल पर मेडीकल टीम पर्याप्त व्यवस्था के साथ सम्पूर्ण समय उपस्थित रखना सुनिश्चित करें । 3–कार्यक्रम स्थल पर जहरीले जीवजन्तू (सर्फदंश आदि) के काटने पर उपचार हेतु औषधी एवं चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना।
5	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग छतरपुर	स्टेज के चारो तरफ बेरीगेट एवं अलग–अलग जगह पर भीड़ कम करने के लिये बेरीगेट और मंदिर के आसपास भीड़ कम करने के लिए बेरीगेट व्यवस्था करना सुनिश्चित करना ।
6	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजनगर	1. कार्यक्रम स्थल पर साफ–सफाई की व्यवस्था। 2. दुकानों पर होम स्टे से ज्वलशील पदार्थो को हटाना। 3. पार्किंग स्थल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना। 4. स्ट्रीट लाईट एवं सरल आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करना
7	1.मुख्य नगरपालिका अधकारी नगर पंचायत खजुराहो 2.मुख्य नगर पालिका अधिकारी, छतरपुर	1–साफ सफाई की व्यवस्था करना सुनिश्चित करना । 2. पेयजल हेतु टेंकर उपलब्ध कराना। 3. केटल वाहन उपलब्ध कराना। 4. चलित शौचालय उपलब्ध कराना। 5. कार्यक्रम स्थल पर फायर ब्रिगेड उपलब्ध कराना।
8	खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी छतरपुर	भंडारो आदि में फूड सैंपलिंग एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ तिवरण सुनिश्चित करना ।
9	जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधकारी छतरपुर	गैस सिलेंडर संबंधी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला–छतरपुर म0प्र0

पृ0कमांक / 532 / आठ / एस.डब्ल्यू. / 2024 छतरपुर, दिनांक 03 / 07 / 2024

प्रतिलिपिः–

1. पुलिस अधीक्षक छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला छतरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) राजनगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) खजुराहो, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. संबंधीजन ....की ओर पालनार्थ।
6. जनसम्पर्क अधिकारी,जिला छतरपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
जिला–छतरपुर म0प्र0